प्रशासनिक कार्यालयः जिला न्यायालय, हरिद्वार।

प्रशासनिक आदेश सं०- 184 **दिनांक-०२ मई, 2023**

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.05.2018, (Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013) के आलोक में दिनांक 25.08.2020 को मुख्यालय हरिद्वार, उप-मुख्यालय रूड़की एवं लक्सर हेतु आन्तरिक शिकायत समितियां गठित की गई थी, जिनके अधिकांश सदस्य अन्य जिलों में स्थानान्तरित हो चुके है। अतः माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक- 2191/UHC/Admin.B/XVII-51/2010 दिनांकित 25.05.2018 के अनुपालन में मुख्यालय हरिद्वार, उप-मुख्यालय रूड़की एवं लक्सर हेतु निम्नांकित आन्तरिक शिकायत समिति गठित की जाती हैं जिसमें निम्नांकित को अध्यक्ष/सदस्य नामित किया जाता हैः

मुख्यालय हरिद्वार

क्र०सं०	नाम	नामित पद	पता
1.	सुश्री प्रतिभा तिवारी	अध्यक्ष	अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हरिद्वार।
2.	सुश्री संगीता आर्य	सदस्य	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
3.	सुश्री शिखा भण्डारी	सदस्य	प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

उप-मुख्यालय रूड़की

क्र०सं०	नाम	नामित पद	पता
1.	सुश्री त्रिचा रावत	अध्यक्ष	अपर वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की।
2.	सुश्री बुशरा कमाल	सदस्य	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूड़की।
3.	सुश्री शिवानी नाहर	सदस्य	प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूड़की।

उप-मुख्यालय लक्सर

क्र०सं०	नाम	नामित पद	पता
1.	सुश्री सीमा डुंगराकोटी	अध्यक्ष	वरिष्ठ सिविल जज, लक्सर।
2.	सुश्री चन्द्रेश्वरी सिंह	सदस्य	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्सर।

उपर्युक्त समितियों के गठन की सूचना समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों को प्रेषित की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त समितियों का गठन महिला कार्मिकों को उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। यदि किसी महिला कार्मिक या न्यायालय परिसर में आने वाली किसी महिला एवं बार की किसी महिला सदस्य को यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत हैं तो वह उपर्युक्त समितियों के अध्यक्ष के नाम लिखित में अपनी शिकायत उनके कार्यालय में दे सकते हैं, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। समिति की बैठक न्यायालय परिसर में अध्यक्ष के बुलाये जाने पर की जायेगी, समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई मानदेय देय नही होगा। उपरोक्त समितियां गठन की तिथि से तीन वर्षो तक अस्तित्व में रहेगी। आन्तरिक शिकायत समिति से सम्बन्धित दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है।

तद्नुसार सूचित हों।

Sd/-
(सिकन्द कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश,
हरिद्वार।